



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032021-225797
CG-DL-E-11032021-225797

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1029]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 10, 2021/फाल्गुन 19, 1942

No. 1029]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 10, 2021/PHALGUNA 19, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2021

का.आ. 1117 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, उड़ीसा राज्य के "राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 326 पर 5 एच.एल पुलों यानी 379/00 किमी. में गरिया नदी पर पंगम पुल, 439/410 किमी. में पोटरू नदी पर और एच.एल पुलों 444/237 किमी., 457/075 किमी. और 468/150 किमी." पर पुनर्निर्माण का उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारि को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-326 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7

1	उप कलेक्टर सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी कलेक्ट्रेट, मलकानगिरी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH326 के कि.मी. 379 से 468.15 तक	उड़ीसा	मलकानगिरी	मलकानगिरी	1 बदिली
					मैथिली	2 पुलिमेटला
					कालीमेला	1 ईरबानपल्ली 2 कालीमेला 3 पेंदिकोंडा 4 कंगुरकोण्डा 5 पदावड़ा

[फा. सं. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2021

S.O. 1117(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authority to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for "Reconstruction of 5 Nos H.L. Bridges Namely Over Garia River (Pangam Bridge) at Ch. 379/00 Km. Over Potteru River at Km. 439/410 and HL Bridges at Km. 444/237, Km. 457/075 and Km. 468/150 of NH-326 (Malkangiri - Motu Road)" in the State of ODISHA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 326 in the State of ODISHA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Deputy Collector-cum LAO, Collectorate, Malkangiri	379KM To 468.15KM	ODISHA	MALKANGIRI	Malkangiri	1 Badili 2 Pulimetla
					Mathili	1 Salapapadar 2 Pangam
					Kalimela	1 Erbanpally

						<table><tr><td>2</td><td>Kalimela</td></tr><tr><td>3</td><td>Pendikonda</td></tr><tr><td>4</td><td>Kangurukonda</td></tr><tr><td>5</td><td>Pedawada</td></tr></table>	2	Kalimela	3	Pendikonda	4	Kangurukonda	5	Pedawada
2	Kalimela													
3	Pendikonda													
4	Kangurukonda													
5	Pedawada													

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

RAJESH GUPTA, Director